



सिडबी संदर्भ सं 2021जुलाई18 / पी002203767 (ए)

दिनांक : 18 जुलाई, 2020

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं लघु वित्त बैंकों सहित),
सभी एनबीएफसी - निवेश एवं क्रेडिट कंपनियां,
सभी एनबीएफसी- अल्प वित्त संस्थाएं एवं अन्य अल्प वित्त संस्थाएं
[एतदपश्चात सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं [एमएलआई] के रूप में संदर्भित] तथा
सा-धन

प्रिय महोदय/महोदया,

सिडबी परिपत्र संख्या 01 / 2020-2021 / ब्याज अनुदान योजना
मुद्रा के लिए ब्याज अनुदान योजना - शिशु ऋण - स्पष्टीकरण -।

कृपया उक्त विषय के संबंध में सिडबी के 30 जून, 2020 के परिपत्र संख्या 2021जून30 / P002203767 का संदर्भ लें। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 14 जुलाई, 2020 को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कुछ बैंकों ने आस्ति समूह की खरीद के संबंध में प्रश्न पूछा था। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस सदस्य ऋणदात्री संस्था(एमएलआई) ने पोर्टफोलियो खरीदा है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पोर्टल पर अपना डाटा प्रस्तुत किया है, वह उन खातों के संबंध में ब्याज अनुदान के लिए आवेदन कर सकती है।

भवदीय,

हस्ता / -

(सुबोध कुमार)

महाप्रबंधक

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

नई दिल्ली कार्यालय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, आत्मा राम हाउस, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001. दूरभाष: 011 23448300

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

New Delhi Office, 3rd & 4th Floor, Atma Ram House, 1 Tolstoy Marg, New Delhi-110 001. Tel.: 011 23448300

Toll Free No.: 1800 22 6753

www.sidbi.in | www.sidbistartupmitra.in | www.udyamimitra.in

@sidbiofficial SIDBIOfficial